संचिका संख्या : 919/4/24/2022

दिनांक : .21.02.2022

आवेदिका के द्वारा बिहार राज्य में पासी जाति की गरीब महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए यह कहा जा रहा है कि उनके पति का आँख सब मंत्री संत्री कानून के रहते फोड़ डाला गया। कोई भी न्याय नहीं किया गया हैं उनको जेल के सलाखों में बंद कर दिया ताड़ी का रोजगार बंद है। 15 अगस्त 1995 को असमाजिक तत्वों के द्वारा आँख फोड़ दिया गया। ताड़ गाछ पर चढ़ना संभव नहीं था। फिर भी उनके पति द्वारा ताड़ गाछ पट्टा पर लिया गया था परन्तु उसे असामजिक तत्वों के द्वारा ताड़ गाछ पर चढ़ना–उतरना रोक दिया गया। धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की गई लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। मजबूरीबश शराब बेचाना अपना रोजगार बनाया। अनेको बार जेल में बंद किया गया । एक पुत्र कमाऊ है उसे भी जुल्म का शिकार बनाया गया और उनके पुत्र को कई केसों में जेल में बंद किया गया उनके द्वारा पटना उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय में याचिका दायर की गई परन्तु विभागीय या न्यायिक सभी कार्रवाई बन्द कोठरी माफिक साबित हुई। सवा डिसमील सरकारी जमीन मौजा मघड़ा में उपलब्ध कराई गई उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाया गया उसी मकान में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान सरकार के द्वारा कानून बनाकर पासी जाति को भयभीत कर भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। सरकार शराब विक्रेताओं को घर में शराब मिलने पर घर को सील कर दी जाती है। अतः पासी जाति पर हो रहे जुल्म को रोकने के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदन में 25 से 30 वर्ष पूर्व की घटनाओं का जिक्र करते हुए न्याय नहीं देने की बात कही गयी है। आवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि उनके पुत्र कई काण्ड में अभियुक्त हैं जो अनुसंधान अंतर्गत है। शराब बंदी कानून के विरूद्ध भी आवेदिका ने अपना विरोध जाहिर किया है परन्तु यह सरकार का नीतिगत मामला है जो **Law Makers** के द्वारा विधान सभा एवम् विधान परिषद् से पारित करवा कर मामला में लाया गया है अतः उसपर मंतव्य दिया जाना उचित नहीं है। आवेदिका इस संदर्भ में माननीय न्यायालय में वाद दायर करने को स्वतंत्र है। जहाँ तक विभिन्न प्राथमिकी दायर किये जाने के सम्बन्ध है आवेदिका अनुसंधान के दौरान अपनी बात रखने को स्वतंत्र है।

अतः इस आवेदन पर राज्य आयोग अपने स्तर से कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदिका को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।